(4)

BEFORE THE HON'BLE BOARD OF REVENUE GWALIOR

I/निग/दतिया/भू.रा./2017/1563

Revision No. /2017

Applicants.......

श्री के.के. द्विवेदी वकील द्वारा आज दि. 30/5/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 30/5/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. Sushil Sihare S/o Shri Maniram Sihare, Age 50 years, Occupation-Shop keeper R/o Ward No.12, Near Govt. Hospital Indergarh District Datia (M.P.)
2. Maniram Sihare S/o Shri Nathuram Sihare, Age 70 years, Occupation-Agriculturist, R/o Ward No.12, Near Govt. Hospital Indergarh District Datia (M.P.)
3. Munni Devi W/o Shri Maniram Sihare, Age 68 years, Occupation-Agriculturist, R/o Ward No.12, Near Govt. Hospital Indergarh District Datia (M.P.)

30.5.17
K. K. Dwivedi

Versus

Respondents....

1. State of M.P through Collector District Datia (M.P)

2. Collector District Datia (M.P)

3. Upper Collector District Datia (M.P)

4. S.D.O Seondha District Datia (M.P)

5. C.M.O Nagar Palika Datia (M.P)

6. Satyaveer Jaat S/o Shri Ram Aasre Singh Age 24 years, Occupation- Agriculturist R/o Datia Road, Rana Market, Indergarh District Datia (M.P.)

REVISION UNDER SECTION 50 OF M.P LAND REVENUE CODE AGAINST THE ORDER Dt. 17.05.17 PASSED IN REVISION NO. 34/16-17 AND AGAINST THE ORDER DT. 19/04/17 PASSED BY COOLOECTOR AND UPPER COLLECTOR DISTRICT DATIA(M.P) AND AGAINST THE ORDERS DT. 29.11.16 & 19.04.17 PASSED BY S.D.O SEONDHA DISTRICT DATIA (M.P) AND ALSO AGAINST THE ORDER DT. 19.07.16 PASSED BY THE COLLECTOR DISTRICT DATIA (M.P) COPY OF THE ORDERS ARE ANNEXED SEPARATELY.

Humble applicants submits this revision petition as under :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक I / निगरानी / दतिया / भू.रा. / 2017 / 1563

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-2017	आवेदकगण की ओर से ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 17–5–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा उक्त आदेश से आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी इस निष्कर्ष के साथ निरस्त की गई है कि आवेदकगण की ओर से कलेक्टर के पत्र दिनांक 19–4–17 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि न्यायालयीन आदेश नहीं होकर प्रशासनिक कार्यवाही है । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है । फलस्वरूप प्रशासनिक कार्यवाही के विरूद्ध निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	